आवेदन पत्र

पशुधन सहायक के पद पर (आवश्यक अस्थायी आधार पर) नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1 आवेदित जिले का नाम ....

2 आवेदित श्रेणी (General /SC/ST/BC/MBC/EWS /महिला / विधवा / परित्यक्ता ....
(नोटः— रिक्त एक पद UR Category का हैं)

3 आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी में)..

4 पिता / पति का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी में)..

5 जन्म दिनांक ....दिनांक 05.06.2025 को आयु (............वर्ष.................माह................दिन)

6 लिंग – (महिला / पुरूष) ....

7 शैक्षणिक विवरण :–

क्र.सं	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12^{th}					
2	AHDP					

8 गृह जिला ....

9 स्थाई निवास का पता ....

10 पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नम्बर / ई–मेल एड्रेस ....
....

11 01.06.2002 को जीवित संतान की संख्या ....

12 विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण ....
....

मै यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित किया करता हूं कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त सूचना पूर्णतया सत्य है एवं मैं किसी दण्ड़नीय अपराध अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दण्ड़ित नही हुआ हूं। मै अपना आवेदन जिला ....में पशुधन सहायक के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा हूँ।

निर्धारित शपथ पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज (मूल एवं स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों के दो अतिरिक्त सेट संलग्न हैं)

दिनांक ....

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं प्रार्थी का नाम

आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशुधन सहायकों की चयन हेतु मार्गदर्शिका एवं आवश्यक शर्तें

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर आवेदक नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
3. आवेदन की तिथि (05.06.2025 से पूर्व) को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / महिलाओं / (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) का नियमनानुसार आयु सीमा में छुट देय होगी। जन्म दिनांक हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वीं, 12वी, डिप्लोमा), जाति प्रमाण, राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र / (आवेदन की तिथि) की सत्यापित प्रतियां एवं पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पूर्व के नही हो, पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र (Driving Licence / आधार कार्ड / पासपोर्ट अथवा वोटर आई डी.) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक हैं। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट (स्व-प्रमाणित फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियो को नियत पारिश्रमिक के रूप मे रुपये 26300 / - प्रतिमाह (एल-8 प्रथम सेल) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता / वार्षिक वेतन वृद्वि / वरिष्ठता आदि का लाभ देय नही होगा।
6. अभ्यर्थी को कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमंद के अधिनस्थ पदस्थापन के अलावा अन्यत्र, अन्य जिले में स्थानान्तरित नही किया जाएगा।
7. चयनित पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश देय नही होगा।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने का वचनबंध (Undertaking) दिया जाना आवश्यक होगा।
9. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीयन की सूचना / दहेज नहीं लिया जाने का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।(राशि रूपये 100 / - के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित)
11. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन / नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये प्रतीक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जावेगी। जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
12. पूर्व से पशुपालन विभाग मे आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नही होगे। आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको भविष्य मे होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
13. प्रारंभिक रुप में आवश्यक अस्थाई आधार पर दी जाने वाली उक्त नियुक्ति केवल तीन माह के लिए ही होगी लेकिन विभाग द्वारा आवश्यक होने पर नियुक्ति अवधि को बढाया भी जा सकता हैं।
14. आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त किसी भी अभ्यर्थी की सेवाएं असंतोषप्रद पाए जाने पर या कार्य सम्पादन में शिथिलता / लापरवाही विभाग के ध्यान में आने वाले ऐसे अभ्यर्थी की सेवाओं को अविलम्ब समाप्त करने का क्षेत्राधिकार विभाग के पास रहेगा।
15. चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा। चयन हेतु संबंधित जिला कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा। चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा। :-

निर्धारित योग्यता – सीनियर सैकण्ड्री एवं राजूवास से संबद्वता प्राप्त संस्थाओं से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा ।

चयन का आधार – चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा जो कि सीनियर सैकण्डरी एवं पशुपालन डिप्लोमा का औसत (दशमलव के दो तक) होगा । समान मेरिट होने पर कमशः पहले पशुपालन डिप्लोमा के अधिक अंक (प्रतिशत)एवं तत्पश्चात सीनियर सैकण्डरी के अधिक अंक (प्रतिशत) को एवं उसके बाद जन्म दिनांक पूर्व की होने को वरीयता दी जाएगी।

16. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के आदेश राजकाज रेफरेन्स न. 14745741 दिनांक 15.04.2025 के अनुसार निम्नानुसार रिक्त पदों पर स्वीकृति पशु पालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति किए जाने की दिनांक अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक ही प्रभावी रहेगी।

(100 रूपये के स्टाम्प पर)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... आयु .... जाति...................... निवासी .... जिला .... शपथ पूर्वक यह घोषण करता / करती हूं कि :–

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें सत्य हैं। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित किये गये हैं।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एंव नियत पारिश्रमिक के आधार पर हैं। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन , मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूंगा। / रहूंगी।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्ति के लिये किसी भी न्यायालय के वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।
4. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में मै धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने का वचन देता हुं।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूं मैने अपना विवाह पंजीकरण करा लिया हैं तथा विवाह में मैंने कोई दहेज नहीं लिया हैं।
6. मै भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिये स्थानांतरण हेतु हकदार नहीं रहूंगा / रहूंगी ना ही स्थानांतरण के लिए पात्र रहूंगा / रहूंगी ना ही आवेदन करूंगा / करूंगी।
7. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मै उस स्थान पर मुख्यालय पर निवास करूंगा / करूंगी ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र / पुत्री .... सत्यापित करता / करती हूं कि उपरोक्त वर्णित पेरा 01 से लगाकर 07 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, इसमे ना ही कुछ गलत हैं और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द

Phone No 02952-223813 Email – dcf.wl.rajsamand@gmail.com, dcfwl.rjsm.forest@rajasthan.gov.in

अस्थाई आधार पर (UTB)पशुधन सहायक की भर्ती आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

प्रार्थी का नाम...

CHECK LIST		
1	आवेदन पत्र	
2	10 वीं की अंक तालिका	
3	10 वीं का प्रमाण–पत्र	
4	12 वीं की अंक तालिका	
5	12 वीं का प्रमाण–पत्र	
6	दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की अंक तालिका व प्रमाण–पत्र	
7	मूल निवास प्रमाण–पत्र	
8	विधवा / परित्याकता प्रमाण–पत्र	
9	विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र	
10	संतान संबंधी प्रमाण–पत्र	
11	दो राजपत्रित अधिकारीयों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र(6 माह से पुराने नहीं)	
12	100 / – का Non Judicial Stamp Paper पर शपथ पत्र Notary द्वारा प्रमाणित	

आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज का 01 (एक) सेट व आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों की दो छायाप्रतियां कुल 03 (तीन) प्रतियां संलग्न करें।

हस्ताक्षर

(आवेदन कर्ता का नाम,पता एवं मोबाईल नं.)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द

आवेदन पत्र कमांक :– प्राप्ति समयः–

कुल प्राप्त दस्तावेज

मीमो

1		
2		
3		

उक्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करवाए हैं। अतः आज दिनांक 05.06.2025 को 12:00 PM बजे तक अनिवार्य रुप से जमा करावें अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

दस्तावेज प्राप्तकर्ता के

हस्ताक्षर